शीर्ष प्राथमिकता/जिला योजना
संख्याः 9/1/35–आ–2/2014–33

प्रेषक,

डा. देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त ज़िलाधिकारी,
समस्त मुख्य विकास अधिकारी।

राज्य योजना आयोग–2 लखनऊः दिनांक 11 दिसम्बर, 2014

विषयः जनपदों की वर्ष 2015–16 की ज़िला योजना तैयार किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् समसंख्यक पत्र दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 एवं दिनांक 01 दिसम्बर,2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपदों की वर्ष 2015–16 की जिला विकास योजनायें तैयार किये जाने के सम्बंध में निर्धारित समय–सारणी के साथ ही विस्तृत मार्ग–निर्देश तथा जनपदवार परिव्यय की फांट संसूचित की गई है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 17 अक्टूबर,2014 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार द्वारा एकीकृत की गई कतिपय केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में सम्मिलित जिला सेक्टर योजनाओं के लिये भारत सरकार से प्राप्त होने वाला केन्द्रांश भी परिव्यय का अंश होगा और ऐसी सभी योजनाओं के लिये राज्यांश एवं केन्द्रांश को सम्मिलित करते हुए परिव्यय रखा जाना है, क्योंकि वर्तमान में नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि भी बजट के माध्यम से ही अवमुक्त की जायेगी। ऐसी योजनाओं की सूची उक्त पत्र के साथ संलग्न की गई है। अतः केन्द्रांश के लिये भी परिव्यय रखे जाने के कारण वर्ष 2015–16 की जिला योजना के लिये परिव्यय में वृद्धि की गई है। कृपया तदनुसार जिला योजना को निर्धारित समयावधि में अन्तिम रूप प्रदान कर नियोजन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

11/12/14

(डा. देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 9/1/35–आ–2/2014–33 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त।
2– मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या।
3– समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।